

7

48

झारखण्ड सरकार
वन एवं पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

संख्या-3/पर्या0प्रदू0(विवेध)-01/2013 1585 व0प0, राँची, दिनांक-03/01/20

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा-3

की उप धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत

सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना

संख्या-का0आ01533(अ0) दिनांक-14.09.2006 के अनुपालन में

उक्त अधिसूचना में वर्णित प्रवर्ग-"ख" की परियोजनाओं पर विचार एवं

निर्णय हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के आदेश

संख्या-का0आ03010(अ) दिनांक-29.12.2012 द्वारा राज्य स्तरीय

पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (State Level Environment

Impact Assessment Authority-SEIAA) एवं राज्य विशेषज्ञ आकलन

समिति (State Expert Appraisal Committee-SEAC) का गठन किया

गया है। राज्य विशेषज्ञ आकलन समिति प्रवर्ग-"ख" से संबंधित

परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय ~~निर्णय~~ प्राप्त करने हेतु समर्पित

आवेदन पत्रों पर सभी अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त लोक सुनवाई के

प्रतिवेदन के आधार पर अपनी अनुशंसा देती है। समिति की अनुशंसा

के आधार पर प्राधिकरण द्वारा उक्त परियोजनाओं को पर्यावरणिक स्वीकृति

प्रदान की जाती है।

राज्य सरकार द्वारा राज्य में SEIAA तथा SEAC के क्रियान्वयन के

विषय पर सम्बन्धित विचारोपरान्त निम्नांकित निर्णय लिये गये :-

1. State Level Environment Impact Assessment Authority(SEIAA) एवं State

Expert Appraisal Committee (SEAC) का कार्यालय तत्काल झारखण्ड राज्य

प्रदूषण नियंत्रण पंचद के कार्यालय (टी0ए0 डिवीजन, बिल्डिंग, एच0ई0सी0

कैंपस, पो0-दुर्वा, राँची) में कार्यरत रहेगा।

2. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा विहित प्रपत्र में पूर्ण

आवेदन निर्धारित परीक्षण शुल्क (Scrutiny Fees) के साथ Member

Secretary, State Level Environment Impact Assessment Authority(SEIAA)

को SEIAA के कार्यालय पर प्रेषित/समर्पित किया जायेगा।


3. पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु समर्पित आवेदनों पर निम्नांकित विवरण के

अनुसूच परीक्षण शुल्क (Scrutiny Fees) अधिरोपित होगी :-

Sri O.P. Saini
सिवादि
3/4

Ami
3/4

7056
03/1/13



Sl.	Total Project Cost/Spread	Scrutiny Fees
1.	Project cost Upto ₹ 5 Crores	Rs. 1.00 Lakh
2.	Project cost over ₹ 5 Crore & Upto ₹ 25 Crores	Rs. 2.00 Lakh
3.	Project cost over ₹ 25 Crores & Upto ₹ 100 Crores	Rs. 3.00 Lakh
4.	Project cost more than ₹ 100 Crores	Rs. 5.00 Lakh
5.	Mining Lease of Major Minerals like Iron, Bauxite, Chromites, Lime Stone, Coal etc. (Excluding Project Cost of other facilities)	Rs. 2.00 Lakh
6.	Minor Mineral	
	a. Below 1 Acre	Rs. 10,000.00
	b. More than 1 Acre to 2.5 Acres	Rs. 50,000.00
	c. More than 2.5 Acres.	Rs. 1,00,000.00

4. आवेदक द्वारा परीक्षण शुल्क (Scrutiny Fees) बैंक द्राफ्ट के माध्यम से आवेदन के साथ सौंपित किया जाना अनिवार्य होगा। बैंक द्राफ्ट State Level Environment Impact Assessment Authority, Jharkhand के पक्ष में राँची (Ranchi) में भुगतान होगा।
5. State Level Environment Impact Assessment Authority, Jharkhand के नाम से किसी उपयुक्त Nationalised Bank में एक Saving Bank Account खोला जायेगा। इस खाते का संचालन प्राधिकार के सदस्य सचिव (Member Secretary SEIAA) द्वारा किया जायेगा। प्राधिकार को प्राप्त अनुदान, परीक्षण शुल्क आदि की राशि इसी बैंक खाते में रक़ी जायेगी।
6. प्राधिकार को प्राप्त परीक्षण शुल्क (Scrutiny Fees) एवं अनुदान (Grants-In-Aid) से SEIAA एवं SEAC के कार्यों के व्यय तथा Sitting Fees, Establishment, TA/DA आदि का धड़न किया जायेगा।
7. SEIAA एवं SEAC की बैठक हेतु अध्यक्ष एवं प्रत्येक गैर सरकारी सदस्य को ₹ 2,000=00 (दो हजार) मात्र Sitting Fee देय होगी।
8. SEIAA एवं SEAC के अध्यक्ष एवं सभी गैर-सरकारी सदस्यों को बैंक में भाग लेने हेतु राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के पदाधिकारी के अनुरूप यात्रा भत्ता देय होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

हैं।

(मुकेश कुमार वर्मा)
सरकार के उप सचिव